जनगणना/अति आवश्यक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Government of India, Ministry of Home Affairs
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh

पत्रांक:डीसीओ-यूपी/38-2019/सीटी-2013 दिनांक:18 /02/2020

भारत की जनगणना 2021 – परिपत्र संख्या - 5

सेवा में,

समस्त प्रमुख जनगणना अधिकारी /
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय : जनगणना 2021 के प्रथम चरण यथा मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना (प्रगणना) संबंधी विभिन्न कार्ये के भुगतान और मानदेय हेतु अनुमोदित धनराशि।

महोदया/महोदय,

भारत की जनगणना 2021 सम्पूर्ण देश में कराने की घोषणा भारत सरकार द्वारा गज़ट में प्रकाशित की जा चुकी है। प्रथम चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने का कार्य तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना (प्रगणना) का कार्य 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021की समयावधि में किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने का कार्य भी किया जायेगा। जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के गज़ट में भी पुनः प्रकाशित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने संबंधी कार्य दिनांक 16 मई, 2020 से से 30 जून, 2020 के दौरान किया जाना है।

जैसा कि आपको विदित है कि जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के कार्य पर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति/पुनर्भरण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने परिपत्र (पत्रांक : 9/59/2019-CD-CEN, दिनांक 10 जनवरी 2020), द्वारा जनगणना 2021 के विभिन्न चरण यथा मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने तथा जनसंख्या की गणना (PE) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित धनराशि के अनुसार भुगतान के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिसे इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 3 – प्रशिक्षण, बिन्दु क्रमांक 4 – राज्य/जिला प्रशासन को तकनीकी सहायता, बिन्दु क्रमांक 5 – राज्य,जिला, एवं चार्ज स्तर को सहायता एवं बिन्दु क्रमांक 6 – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बुकलेट का मुद्रण आदि के मद में होने वाले व्यय को चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में Grant-in-aid के रूप में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) को उपलब्ध कराया जाएगा।

जनगणना भवन, प्लॉट संख्या सीसी-1, सैक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226024
Janaganana Bhawan, Plot No CC-1, Sector-G, Aliganj, Lucknow-226024
दूरभाष/Phone : 0522-2331211/2322914/2322913/2332673, फैक्स/Fax : 0522- 2322911
ई-मेल/E-mail: dco-utp.rgi@nic.in/ वैबसाइट /Website : http://censusup.gov.in

Scanned by CamScanner

उक्त धनराशि का वितरण जनगणना 2021 कार्य हेतु राज्य सरकार के नोडल विभाग "सामान्य प्रशासन विभाग", उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा शासनादेश के माध्यम से जिला स्तर तक किया जाना है। जनगणना 2021 प्रयोजनार्थ व्यय हुई समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/पुनर्भरण/समायोजन अद्यतन लेखा नियमों के आलोक में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर किया जाना है। जनगणना 2021 के संबंध में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का जनपदवार मासिक विवरण महालेखाकर, उत्तर प्रदेश से सत्यापित कराकर नोडल विभाग "सामान्य प्रशासन विभाग" को तथा इस निदेशालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate), General Financial Rule 2017 (GFR-2017) के निर्धारित प्रारूप पर नोडल विभाग "सामान्य प्रशासन विभाग" को निर्गत/प्रेषित करना होगा तथा उसकी प्रति इस निदेशालय को भी पृष्ठांकित करनी होगी। यदि उपरोक्त आवंटित धनराशि में से कुछ धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता है तो Unutilized धनराशि को नोडल विभाग "सामान्य प्रशासन विभाग" को संदर्भित लेखा के लेखाशीर्ष में समर्पित (संदर्भित) करना होगा। उपरोक्त संबन्धित समस्त मूल बिल वाउचर को भुगतान के उपरांत उसकी एक प्रति भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रखी जाएगी और उसका ऑडिट कराया जाएगा।

2. जनगणना पदाधिकारियों का मानदेय :

जनगणना अधिनियम,1948 और जनगणना नियम,1990 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इससे संबन्धित निर्देश परिपत्र संख्या - 4 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। जनगणना और एनपीआर कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न स्तर के जनगणना पदाधिकारियों के मानदेय की धनराशि निम्नलिखित है :

2.1 प्रगणक और सुपरवाइजर :

प्रगणक और सुपरवाइजर को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जाना है। मानदेय का भुगतान चार्ज अधिकारी के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र **"प्रगणक / सुपरवाइजर द्वारा आवंटित कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है तथा समस्त अभिलेखों को चार्ज अधिकारी के पास जमा करा दिया गया है"** के उपरांत ही किया जाना है।

धनराशि (रु. में)

क्रम संख्या	चरण	आंकड़ों को जमा करने का प्रकार (प्रति प्रगणक और प्रति सुपरवाइजर)	
		कागज पर (On Paper)	मोबाइल पर (On Mobile)
1.	मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO)	5,500	7,500
2.	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)	3,750	6,250
3.	जनसंख्या की गणना (PE)	8,250	11,250
कुल मानदेय		**17,500**	**25,000**

मकानसूचीकरण और मकानों की गणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन कार्य के दौरान यदि किसी प्रगणक/सुपरवाइजर द्वारा आंशिक कार्य किया जाता है तथा शेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी दूसरे प्रगणक/सुपरवाइजर को लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में मानदेय का भुगतान केवल उसी प्रगणक/सुपरवाइजर को किया जाएगा जिसके द्वारा कार्य को पूर्ण किया गया है और समस्त अभिलेख जमा किए गए हैं। यदि किसी प्रगणक द्वारा एक से अधिक गणना ब्लॉक का कार्य पूर्ण किया जाता है तो उसे मानदेय का भुगतान केवल एक बार ही किया जाएगा अर्थात प्रगणकवार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

2.2 अन्य जनगणना पदाधिकारी :

श्रेणी	धनराशि (रु. में)			
	मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO)	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)	जनसंख्या की गणना (PE)	कुल योग
राज्य नोडल अधिकारी (राज्य समन्वयक)	20,000	25,000	30,000	75,000
राज्य स्तर पर अन्य अधिकारी/कर्मचारी (राज्यस्तर पर अधिकतम 5 अधिकारी/ कर्मचारी)	12,000	15,000	18,000	45,000
मण्डल जनगणना अधिकारी / प्रमुख जनगणना अधिकारी / जिला जनगणना अधिकारी / अपर जिला जनगणना अधिकारी / आयुक्त आदि।	16,000	20,000	24,000	60,000
जिला स्तर पर अन्य अधिकारी/कर्मचारी (जिला संख्या अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी –NIC को शामिल करते हुए प्रत्येक जिले के लिए अधिकतम 8 अधिकारी/ कर्मचारी)	12,000	15,000	18,000	45,000
उप जिलाधिकारी / चार्ज अधिकारी / अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	12,000	15,000	18,000	45,000

2.3 कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति और संबन्धित अधिकारी द्वारा 'जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (Census Management and Monitoring System)' पोर्टल (www.census.gov.in) पर इसके सत्यापन के बाद लोकवित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (Public Financial Management System) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से मानदेय की राशि सीधे जनगणना पदाधिकारी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस उद्देश्य हेतु सभी अधिसूचित और नियुक्त जनगणना कार्मिकों का विवरण यथा नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक शाखा का पता, मोबाइल नंबर आदि का विवरण उपलब्ध कराते हुए स्वयं को 'जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMMS)' पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। मानदेय के भुगतान के लिए इन विवरणों का सही होना जरूरी है और इसीलिए संबन्धित चार्ज अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनगणना कार्य के लिए दिए जाने वाले मानदेय हेतु संबन्धित जनगणना पदाधिकारियों के बैंक विवरण आदि सही हैं।

यदि एक चार्ज अधिकारी को एक से अधिक चार्ज का कार्य सौंपा गया है तो उन्हें केवल एक बार ही मानदेय दिया जाएगा। जनगणना नगर (Census Town) के चार्ज अधिकारी, संबन्धित तहसील के तहसीलदार होंगे। संबन्धित तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त जनगणना नगरों (Census Towns) का कार्य उस तहसील को चार्ज के रूप में मिली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से संपादित करना है।

2.4 प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों द्वारा कार्य की समाप्ति और रिकॉर्ड के प्रेषण के उपरान्त CMMS पोर्टल पर चार्ज एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद, संबन्धित जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा उसकी जांच की जाएगी। अपने संबन्धित क्षेत्राधिकार में कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर और कार्य की शत प्रतिशत कवरेज के प्रमाणन के पश्चात जिले के सभी अधिसूचित अधिकारियों (जिला स्तर के जनगणना पदाधिकारियों और चार्ज अधिकारियों आदि) के मानदेय का भुगतान प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी की अनुशंसा और जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा इसके सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. प्रशिक्षण :

3.1 प्रगणकों, सुपरवाइजरों और अन्य जनगणना पदाधिकारियों जिनकी नियुक्ति जनगणना अधिनियम,1948 के अंतर्गत जनगणना कार्य करने के लिए की गयी है, का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण जनगणना के सफल संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। मोबाइल एप पर आंकड़ा संग्रहण जैसी नयी योजनाओं और सम्पूर्ण कार्य के बेहतर प्रबन्धन के लिए CMMS पोर्टल की शुरुआत के बाद आंकड़ा संग्रहण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.2 प्रशिक्षण हेतु एक सम्पूर्ण प्रशिक्षण सोपान डिजाइन किया जा चुका है इस क्रम में सबसे ऊपर 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक /National Trainer (NT) हैं जो 1800 मास्टर ट्रेनर/Master Trainer(MT) को तथा मास्टर ट्रेनर 43500 फील्ड ट्रेनर/ Field Trainer (FT) को प्रशिक्षित करेंगे। इसके उपरान्त फील्ड ट्रेनरों द्वारा लगभग 30 लाख प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विभिन्न प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को संबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी / National Statistical System Training Academy (NSSTA), नोएडा और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन संस्थान / Institute of Secretariat Training and Mamagement (ISIM), नई दिल्ली में पूर्ण हो चुका है। 1800 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण भी देश के विभिन्न भागों में 20 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATI's) में पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में 240 मास्टर ट्रेनरों का यह प्रशिक्षण दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (SIRD) बख्शी का तालाब, लखनऊ में माह नवम्बर-दिसंबर 2019 में सम्पन्न हो चुका है तथा उनकी एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग 10 से 12 फरवरी, 2020 के दौरान पूर्ण की जा चुकी है। मास्टर ट्रेनरों द्वारा फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा फील्ड ट्रेनरों द्वारा प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिला स्तर अथवा चार्ज स्तर पर जिले की सुविधानुसार किया जाएगा।

3.3 इस वृहद कार्य के सुचारु संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी। तदनुसार प्रगणकों, सुपरवाइजरों और अन्य जनगणना पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए प्रशिक्षण भत्ते के रूप में रु॰ 350/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को लंच,पानी,चाय आदि उपलब्ध कराने के लिए रु. 150/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर से धनराशि चार्ज अधिकारी को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के आयोजन हेतु मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के लिए रु. 5000/- प्रति बैच सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए, और इसी प्रकार जनसंख्या की गणना के लिए रु. 5000/- प्रति बैच सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए दिया जाएगा। यह धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन के दौरान प्रशिक्षण कक्षा, प्रोजेक्टर, स्थल, आडियो सिस्टम और अन्य संबन्धित व्यवस्था करने हेतु जिला प्रशासन के लिए काफी उपयोगी होगी।

3.4 प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए रु. 350/- प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण भत्ते को PFMS एवं DBT का प्रयोग करते हुए जनगणना पदाधिकारियों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा। जिसका भुगतान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबन्धित प्राधिकारी को रिकार्डों के प्रेषण के उपरान्त किया जायेगा। शेष धनराशि अर्थात प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए रु. 5000/- प्रति बैच लंच, आदि के लिए रु॰ 150/- का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा। जिनसे शासनादेश जारी कर जिलों को इस धनराशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया जाएगा।

3.5 मास्टर ट्रेनरों द्वारा फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने और फील्ड ट्रेनरों द्वारा प्रगणकों/ सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देने के लिए रु. 1500/- प्रतिदिन की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा। जिसे CMMS पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए विवरणों के आधार पर सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

4. राज्य/जिला प्रशासन को तकनीकी सहायता

4.1 मोबाइल से आंकड़ा संग्रहण और CMMS पोर्टल के प्रयोग जैसी कई नई पहलों की शुरुआत के कारण भारत की जनगणना 2021 डिजिटल आंकड़े प्राप्त करने के साथ अधिक तकनीकी गहनता वाली होगी। इससे बहुत कम समय में जनगणना के आंकड़े जारी करना संभव होगा और इससे एन.पी.आर. संबंधी डाटा एंट्री कार्य में भी कमी आएगी। इसलिए राज्य, जिला एवं चार्ज स्तरीय जनगणना अधिकारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उन्हें कार्यालयी सहायता हेतु तकनीकी सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS) दिए जाएंगे। इन दोनों प्रकार की श्रमशक्ति को अधिकतम 18 माह (फरवरी 2020 से आगे तक) की अवधि के लिए रखा जाएगा। विवरण निम्नवत है :

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	स्वीकृति श्रमशक्ति 18 माह के लिए
1	राज्य स्तर	4 तकनीकी सहायक, 2 मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS)
2	जिला स्तर	4 तकनीकी सहायक, 2 मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS)
3	नगर निगम/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथारिटी	4 तकनीकी सहायक, 2 मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS)
4	चार्ज (**जनगणना नगर, विशेष चार्ज व वन चार्ज को छोड़कर** समस्त तहसील, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त नगर पंचायत, समस्त औद्योगिक टाउनशिप-ITS और समस्त छावनी परिषद) स्तर	2 तकनीकी सहायक

4.2 तकनीकी सहायक को अधिकतम मानदेय रु. 20000/- प्रति माह तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS) के लिए रु. 14000/- प्रति माह होगा। इस धनराशि के अतिरिक्त इन कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। जनगणना 2021 और NPR अद्यतन कार्य हेतु यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार को अधिकतम 18 माह की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इसके उपरांत यह सहायता स्वतः बंद हो जाएगी और इस संबंध में भारत सरकार की वित्तीय तथा कोई अन्य देयता नहीं होगी।

4.3 इन कर्मचारियों को अनुबन्ध के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विशुद्ध रूप से अल्पकालिक संविदा आधार पर होगा। इस प्रकार रखे गए अल्पकालिक संविदा कर्मचारी (तकनीकी सहायक व MTS) नियमतीकरण या भारत सरकार में किसी आकस्मिक, तदर्थ, अस्थायी या नियमित सेवा के किसी दावे सहित किसी पद पर पुनः नियुक्ति पर विचार किए जाने के सन्दर्भ में किसी दावे, अधिकार, हित या अनुगामी लाभों के लिए प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा EPF, ESIC आदि जैसी सांविधिक कटौतियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबन्धित आउटसोर्सिंग एजेंसी की होगी। जनगणना 2021 के लिए लगाए गए किसी भी तकनीकी सहायक व MTS का मानदेय सीधे आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया जाएगा।

4.4 यह उचित होगा यदि जिला, नगर निगम और चार्ज स्तर (तहसील, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक टाउनशिप-ITS और छावनी परिषद) में इन कर्मचारियों की नियुक्ति (अनुबन्ध के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विशुद्ध रूप से अल्पकालिक संविदा आधार) विस्तृत वित्तीय नियमों का पालन करते हुए प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में की जाते है। ये पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जाएंगे। कार्य के लिए योग्यता पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी विचार किया जा सकता है। तकनीकी सहायक की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कर्मी कंप्यूटर पर Microsoft Word, Excel, Power point और Inernet आदि पर कार्य करने में दक्ष हो और मोबाइल के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण कार्य में निपुण हों। राज्य स्तर पर तकनीकी सहायक व MTS की नियुक्ति हेतु नोडल विभाग उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जनगणना नगर, विशेष चार्ज व वन चार्ज में अनुबन्ध के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विशुद्ध रूप से अल्पकालिक संविदा आधार पर किसी तकनीकी सहायक व MTS की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

Scanned by CamScanner

5. राज्य,जिला एवं चार्ज स्तर को सहायता

सरकार ने राज्य,जिला, एवं चार्ज स्तर पर अधोसंरचना (IT Infrastructure) सहयोग के सन्दर्भ में तकनीकी सहायता संबंधी प्रावधानों की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्धारित शासकीय एवं वित्तीय प्रक्रियाओं तथा निविदा संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सभी संबन्धित का होगा। यह धनराशि मकानसूचीकरण, एन.पी.आर. अद्यतन करने और जनसंख्या की गणना के सम्पूर्ण कार्य के लिए है, जिसका विवरण निम्नवत है :

5.1 आई टी अधोसंरचना (IT Infrastructure) : जनगणना 2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अर्थात कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यू पी एस,इन्टरनेट कनेक्शन, मेज, कुर्सी आदि खरीदने के लिए एक बार का प्रावधान किया गया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबन्धित सामग्री की खरीद के लिए लागू वित्तीय नियमों का पालन किया जाना है।

5.2 पेट्रोल, तेल, लुब्रीकेंट (पी. ओ. एल.) / वाहन को किराए पर लेने का खर्च : राज्य सरकार / जिला प्रशासन / चार्ज अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर निगरानी, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने के क्रम में व्यापक दौरे करने होंगे। तदनुसार व्यापक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए जनगणना अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु पी ओ एल/ किराए के वाहन का प्रावधान किया गया है।

5.3 रखरखाव खर्च (आकस्मिक निधि) : जनगणना 2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन कार्य संबंधी तैयारी व वास्तविक क्षेत्र कार्य के दौरान कुछ अन्य खर्च भी हो सकते हैं। जिसके कुछ उदाहरण हैं : स्थानीय प्रचार प्रसार, जनगणना सामग्री की स्थानीय ढुलाई, स्टेशनरी, फोटो कॉपी, मजदूरी व्यय, सामग्री की पैकिंग, डाक खर्च, बैठकों का खर्च आदि। चार्ज अधिकारियों, प्रमुख जनगणना अधिकारी और राज्य समन्वयक को इनकी आवश्यकता पड़ सकती है।

5.4 मकानसूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनसंख्या की गणना के विभिन्न स्तरों से संबंधित पैरा 5.1 से 5.3 में उल्लिखित आई टी अधोसंरचना, पी ओ एल एवं रखरखाव खर्च की धनराशि को नीचे संक्षेप में दिया गया है :

	मकानसूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनसंख्या की गणना के सम्पूर्ण कार्य के लिए **धनराशि (रु. में)**		
प्रशासनिक स्तर	**आई टी अधोसंरचना (IT Infrastructure)**	**पेट्रोल, तेल, लुब्रीकेंट (पी. ओ. एल.) / वाहन को किराए पर लेने का खर्च POL/Hiring of Vehicle**	**रखरखाव खर्च (Handling Charges / Contingency)**
राज्य स्तर	10,00,000	10,00,000	10,00,000
जिला स्तर	5,00,000	5,00,000	5,20,000
चार्ज स्तर	2,00,000	1,00,000	1,10,000

5.5 यह एक बार दी जाने वाली सहायता होगी और इसे सीधे राज्य सरकार को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसे जिलों एवं चार्जों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है।

6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बुकलेट का मुद्रण : गणना ब्लॉकवार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन. पी. आर.) डाटा चार्ज अधिकारी को पी डी एफ प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे बुकलेट के रूप में मुद्रित कराया जाना है। यदि कोई प्रगणक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन के लिये मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग करता है तो उस प्रगणना ब्लॉक के डाटा का मुद्रण नहीं भी किया जा सकता है। मुद्रण हेतु रु. 2/- प्रति पृष्ठ (आगे व पीछे) उपलब्ध कराया जाएगा। एन पी आर अनुसूचियाँ के 25 खाली फार्म भी गणना ब्लॉकवार बुकलेट के भाग के रूप में भी मुद्रित कराए जाएंगे। इनका उपयोग किसी गणना ब्लॉक में आने वाले नए परिवारों, किसी परिवार के नए सदस्यों के विवरण को भरने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बुकलेट की बाइंडिंग हेतु प्रति बुकलेट अधिकतम रु. 75/- उपलब्ध कराए जाएंगे। यह धनराशि बाइंडिंग हेतु ऊपरी सीमा है और एन पी आर

Scanned by CamScanner

बुकलेट के मुद्रण के दौरान इस ऊपरी सीमा तक की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार न्यूनतम के आधार पर किया जाएगा।

7. उपरोक्त पैरा 3, 4 एवं 5 में उल्लिखित सामग्री के लिए अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बजट का एक अलग मद खोला जाएगा। धनराशि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा अनुदान राशि के रूप में (Grant-in-aid) हस्तांतरित की जाएगी। तदनुसार उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध है कि वे इस खाते के व्यय को पूरा करने हेतु वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्षों के दौरान जिला/चार्ज स्तर के बजट में अपेक्षित धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में जिला प्रशासन को धनराशि के समयबद्ध वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

8. प्राधिकारियों से जनगणना एवं एन पी आर कार्य के समस्त व्ययों का सम्पूर्ण विवरण रखने और प्रत्येक स्तर एवं राज्य स्तर का समेकित त्रैमासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश शासन के संबन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इससे संबन्धित प्रारूप आपको अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

9. उपरोक्त का मदवार सारांश निम्नलिखित है :

क्र सं.	मद	HLO, NPR, PE के लिए कुल धनराशि	धनराशि
1	मानदेय	(i)प्रगणक/सुपरवाइज़र रु. 17500 – कागज पर (On paper) रु. 25,000 – मोबाइल पर (On mobile) (ii) अन्य जनगणना पदाधिकारियों के लिए पैरा 2.2 के अनुसार	क्षेत्रीय जनगणना पदाधिकारियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी
2	प्रशिक्षण (सम्पूर्ण निर्धरित अवधि हेतु)	(i) HLO एवं NPR के प्रति बैच के लिए रु. 5000 /- (तथा PE के प्रति बैच के लिए रु. 5000/-(सम्पूर्ण अवधि हेतु) (ii) रु. 150/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लंच, चाय आदि हेतु प्रत्येक प्रतिभागी हेतु प्रशिक्षण भत्ता @ रु. 350/- प्रति प्रशिक्षण दिवस की दर से	राज्य सरकार को अनुदान राशि के रूप में (Grant-in-aid) क्षेत्रीय जनगणना पदाधिकारियों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा
3	तैनात श्रमशक्ति (Hired Manpower)	तकनीकी सहायक को रु. 20,000/- और एम.टी.एस. (MTS) को रु.14,000/- प्रतिमाह (अधिकतम18 माह की अवधि हेतु)	राज्य सरकार को अनुदान राशि के रूप में (Grant-in-aid)
4	राज्य, जिला और चार्ज स्तर पर सहायता	पैरा 5.4 के अनुसार	राज्य सरकार को अनुदान राशि के रूप में (Grant-in-aid)
5	NPR बुकलेट का मुद्रण	रु. 2/- प्रति पृष्ठ (आगे-पीछे) और प्रत्येक बुकलेट की बाइंडिंग के लिए अधिकतम रु. 75/-	राज्य सरकार को अनुदान राशि के रूप में (Grant-in-aid)
6	राज्य सरकार के लिए कार्य बिन्दु	**क.** CMMS पोर्टल पर सभी क्षेत्रीय जनगणना पदाधिकारियों का समुचित पंजीकरण (Registration) **ख.** पृथक बजट मद (Budget Head) की व्यवस्था करने की आवश्यकता **ग.** जिला प्रशासन/ तहसील/ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/औद्योगिक टाउनशिप-ITS/छावनी परिषद आदि को समय से धनराशि उपलब्ध कराने /आवंटन से संबन्धित आवश्यक कदम **घ.** राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय का त्रैमासिक समेकित विवरण	

Scanned by CamScanner

अतः आपसे अनुरोध है कि जनगणना 2021 संबंधी कार्यों की समयबद्धता के दृष्टिगत प्रगणकों, सुपरवाइजरों की नियुक्ति, प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिला व चार्ज स्तर पर अनुबन्ध के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विशुद्ध रूप से अल्पकालिक संविदा आधार पर तकनीकी सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ़ (MTS) की नियुक्ति और आई टी अधोसंरचना (IT Infrastructure) को मजबूत करने विषयक कार्रवाई यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नरेन्द्र शंकर पाण्डेय)
निदेशक एवं
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डल जनगणना अधिकारी/ मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
9. डॉ हरिओम, सचिव (राज्य समन्वयक), सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी, उत्तर प्रदेश (सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त)
13. समस्त राज्यों के जनगणना कार्य निदेशालय।
14. समस्त नगर जनगणना प्रभारी अधिकारी (समस्त नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और छावनी बोर्डों के अधिशाषी अधिकारी)
15. श्री ए. के. सिंह सोमवंशी, उप निदेशक (आई. टी.) को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. निदेशालय के समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक / सहायक निदेशक / अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र)/सां. अन्वेषक ग्रेड-I
17. गार्ड फाइल।

18/02/2020
(प्रदीप कुमार)
उप महारजिस्ट्रार (सी & टी)

Scanned by CamScanner